लेक्चर्स ऑन ज्युरिसप्रुडेन्स : द्वारा-

डा० अरविन्द कुमार

विधिशास्त्र (Jurisprudence)

(1.) भूमिका (Introduction)
(2.) विधिशास्त्र का अर्थ
(3) विधिशास्त्र की परिभाषा
(4) विधिशास्त्र की प्रकृति
(5) विधिशास्त्र की विषयवस्तु
(6) विधिशास्त्र का विस्तार क्षेत्र
(7) विधिशास्त्र का अन्य विषयों से सम्बन्ध

भूमिका (Introduction)

मनुष्य समाज का एक अविछिन्न अंग है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के सम्पर्क में आना तथा एक दूसरे के प्रति सौहार्द, भाईचारा और सद्व्यवहार का भान रखना मनुष्य स्वभाव की एक अनिवार्य विशेषता है। मनुष्य का सामाजिक जीवन इन्हीं संव्यवहारों पर आधारित है। समाज में मानव के आचरणों और व्यवहारों पर उचित नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है ताकि उनके परस्पर हितों की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से विधि की उत्पत्ति हुई। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य प्रजाजनों के आचरणों, संव्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियन्त्रण रखते हुए समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखता है।

मनुष्य केवल समाज में रहता है और समाज में ही रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव जीवन के सारे कार्य कलाप तथा व्यवहार, विधि से ही नियन्त्रित होते हैं। विधि ही वह साधन है जिसके माध्यम से मानव व्यवहारों के अमानवीय एवं अनियन्त्रित प्रवृत्ति को अनुशासित किया जाता है। विधि ही समाज का दर्पण है। इस प्रकार समाज में मानव का दूसरे मानव के साथ सद्भाव, सौहार्द, स्नेह एवं परस्पर अधिकारों के अतिक्रमण न करने का एक मनुष्य का दूसरे पर आक्रमण न करने के सारे नियन्त्रण का कार्य

विधि ही करती है। इसलिए मानव जीवन में विधिशास्त्री की बड़ी ही महत्ता है।

इस प्रकार विधिशास्त्र विधि सम्बन्धी वह विज्ञान है जो प्रथमतः प्रत्येक की स्थापित मान्यताओं, आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार मानव आचरणों को व्यवस्थित करता है। चूँकि समाज की मान्यताएँ परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है इसलिए विधिशास्त्र का परिवर्तित होना अनिवार्य हो जाता है। जेर्मी बेन्थम को आधुनिक विधिशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम विधि को विज्ञान (Science) की संज्ञा दी। कुछ विद्वानों ने विधिशास्त्र को 'विधानों का विधान' कहा है।

विधिशास्त्र का अर्थ (Meaning of the term 'Jurisprudence')

विधिशास्त्र के अध्ययन का मूल केन्द्र बिन्दु विधि है। परम्परागत प्रयोग से संगत एवं विस्तृत अर्थ में विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। यह परिभाषा शब्द व्युतपत्ति एवं प्रारम्भिक अर्थ की दृष्टि से संगत है।

विधिशास्त्र ऑंग्लभाषा के 'Jurisprudence' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। Jurisprudence शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Jurisprudentia' शब्द से मानी गयी है। शब्द Jurisprudentia दो शब्दों के युग्म से बना है — Juris और Prudentia। Juris शब्द का अर्थ विधि से है और Prudentia शब्द का अर्थ ज्ञान से है। अतः शाब्दिक अर्थ में विधिशास्त्र का प्रयोग विधि के ज्ञान के रूप में किया गया है। देश, काल एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जब विधि का वैज्ञानिक अध्ययन अवश्यसम्भावी बन गया तब विधिशास्त्र का प्रयोग विधि के क्रमबद्ध ज्ञान अर्थात विधि के विज्ञान के रूप में किया गया। विधिशास्त्र का अर्थ अलग-२ समयों एवं भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रहा है जैसे चिकित्सीय विधिशास्त्र, अभियान्त्रिकी विधिशास्त्र आदि।

विधिशास्त्र की परिभाषा (Definition of Jurisprudence)

विधिशास्त्र की परिभाषाओं को चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है –

1. आदर्शवादी परिभाषा
2. विश्लेषणात्मक परिभाषा
3. संश्लेषणात्मक एवं संकल्पनात्मक परिभाषा
4. समाजशास्त्रीय परिभाषा

आदर्शवादी परिभाषा (Idealist Definition)

अल्पियन (Ulpian) : प्राख्यात रोमन विधिशास्त्री अल्पियन ने, 'Digest' नामक अपने ग्रन्थ में विधिशास्त्र की निम्न परिभाषा दी है– विधिशास्त्र "मानवीय एवं दैवी विषयों का ज्ञान और न्याय-पूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है"।

"Jurisprudence is the observation or knowledge of things divine and human, the science of just and unjust."

आलोचना– इनकी आलोचना दो आधारों पर की गयी है- प्रथम, यह कि उनका कथन मात्र एक अलंकारिक है कथन है जिसे स्वयं रोमवासियों ने आगे नहीं बढ़ाया। द्वितीय, यह कि अत्यधिक विस्तृत होने के कारण अपने में धर्म और नीतिशास्त्र को भी सम्मिलित कर सकती है अर्थात इसका दायरा काफी विस्तृत है।

विश्लेषणात्मक परिभाषा (Analytical Definition)

आस्टिन (Austin) : प्रसिद्ध, ऑग्लविधिशास्त्री जॉन आस्टिन ने अपनी पुस्तक 'Province of Jurisprudence determined' में विधिशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि-

"विधिशास्त्र विधेयात्मक विधि का दर्शन है"।

"Jurisprudence is the Philosphy of positive law"
Here philosphy deals with the most general theories about thing.

दर्शन शब्द का प्रयोग यहाँ सामक है, दर्शन चीजों या विषयों के बारे में, चाहे मानवीय हो या दैवी, अति सामान्य सिद्धान्तों की विवेचना करता है। अधिरचित विधि से यहाँ तात्पर्य आचरण के सामान्य नियमों से है जिन्हे राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा राजनीतिक रूप से अवर व्यक्ति के लिए निरूपित किया जाता है। (Positive law is the general rule of conduct laid down by a Political superior to a political inferior")

अधिरचित विधि की तीन मुख्य विशेषताएँ है -

→ यह एक प्रकार का समादेश है।

→ यह राजनीतिक सम्प्रभु द्वारा निरूपित किया जाता है।

→ इसका प्रवर्तन एक अनुशास्ति के द्वारा होता है।

["law is the command of Sovereign." law is law because it was made by Sovereign And Sovereign is Sovereign because he made law.] Law as it is, not law ought to be.

आस्टिन विधिशास्त्र का मुख्य औजार विश्लेषण मानते हैं। आस्टिन बेन्थम के शिष्य थे। आस्टिन ने विधिशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में किया -

1. सामान्य विधिशास्त्र (General jurisprudence)
2. विशिष्ट विधिशास्त्र (Particular jurisprudence)

आलोचना - 1. प्राकृतिक विचारधारा के मानने वाले विधिवेत्ता अधिरचित विधि की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अधिरचित विधि जो प्राकृतिक विधि के विरुद्ध या विपरीत है शून्य है।

2. हालैण्ड ने विधिशास्त्र को प्रगतिशील विज्ञान मानकर आस्टिन के सामान्य और विशिष्ट, विधिशास्त्र के वर्गीकरण की आलोचना की है।

3. ऐतिहासिक विचारधारा के विधिवेत्ताओं ने आस्टिन के अधिरचित विधि के सिद्धान्त की आलोचना की है। उनके अनुसार विधि हमेशा सम्प्रभु से सम्बद्ध नहीं रही। सर हेनरी मेन के शोधो ने यह

प्रमाणित कर दिया है कि आदिम समाज में विधि थी जब सम्प्रभु की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था।

4. पैटन ने कहा कि विधि जैसी की है और जैसी कि होनी चाहिए में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना आसान नहीं है।

5. आस्टिन के अनुसार कानून का पालन करने के लिए अनुशास्ति का होना आवश्यक है पर सभी परिस्थितियों में यह सही नहीं है।

6. बकलैण्ड ने आस्टिन के विधिशास्त्र की व्याख्या की आलोचना इस आधार पर किया है कि इन्होंने सामान्य विधिशास्त्र की बात तो की परन्तु व्यवहार में नहीं अपनाया परन्तु शायद इसीलिए आस्टिन ने स्वीकार किया कि केवल विशेष विधिशास्त्र ही व्यवहारिक है।

हालैण्ड (Holland):

आस्टिन की परिभाषा का अनुसरण करते हुए हालैण्ड ने उनकी परिभाषा में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। अपनी प्रसिद्ध कृति 'Elements of Jurisprudence' में विधिशास्त्र को अधिरचित विधि का प्रारूपिक विज्ञान कहा है।

(Jurisprudence is the formal science of positive law)

पूरी परिभाषा इस प्रकार है- विधिशास्त्र से अभिप्राय उन मानवीय सम्बन्धों के औपचारिक विज्ञान से है जिनके लिए सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि उनके विधिक प्रभाव होते हैं।

→ हालैण्ड का अधिरचित विधि से तात्पर्य वास्तविक एवं वर्तमान विधि से है न कि काल्पनिक, आदर्श एवं अमूर्त विधि से। हालैण्ड आस्टिन की तरह यह कहते हैं कि विधिशास्त्र हमेशा उत्तरगामी है न कि पूर्वगामी।

→ हालैण्ड औपचारिक शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विधि-शास्त्र मानवीय सम्बन्धों की विवेचना करता है। जो विधि के नियमों से शासित होते हैं न कि स्वयं के भौतिक नियमों से।

→ एक औपचारिक विज्ञान वह है जो उसमें अन्तर्निहित मूल सिद्धान्तों की विवेचना करता है, एक पार्थिव विज्ञान नहीं जो ठोस विवरणों की विवेचना करता है।

आलोचना – हालैण्ड के विधिशास्त्र की आलोचनाएँ प्रायः प्रारूपिक शब्द के प्रयोग से सम्बन्धित है। ग्रे, बकलैण्ड तथा जेंक्स ने प्रारूपिक

विज्ञान की आलोचना की है। ग्रे ने प्रारूपिक विज्ञान की आलोचना करते हुए कहा है कि विधिशास्त्र का विधि से सम्बन्ध मात्र इस बात पर आधारित नहीं है कि विधि का क्या प्रयोग है बल्कि इस पर आधारित होता है कि विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।

सामण्ड (Salmond)

सामण्ड के अनुसार "विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धान्तों का विज्ञान है"। (Jurisprudence is the science of the first principle of civil law)

सिविल विधि या नागरिक विधि से उनका अभिप्राय राज्य विधि से है। जब हम नागरिक विधि को विज्ञान के रूप में देखते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि विधिक सिद्धान्तों का क्रमबद्ध अध्ययन

सामण्ड 'प्रथम' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसका तात्पर्य किसी विधि व्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में वैज्ञानिक अन्वेषण या जाँच परख।

सामण्ड ने विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त विधिशास्त्र को तीन वर्गों में विभाजित किया है—

(i) Analytical (ii) Historical (iii) Ethical

आलोचना :-

प्रो० सी० के० एलन ने विधिशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर देने के लिए सामण्ड की आलोचना किया है। उनके अनुसार विधिशास्त्र के क्षेत्र को मात्र एक विधिक प्रणाली - इंगलैण्ड तक सीमित कर दिया है। इसका एक अवगुण यह है कि किसी सिद्धान्त के न्यायिक निर्वचन के लिए मात्र अंग्रेजी विधि अपर्याप्त होगी।

ग्रे (Gray) (The Nature and the sources of the law)

"विधिशास्त्र विधि अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है।"

G.W Paton: (A text book of jurisprudence)

"विधिशास्त्र विधि से सम्बन्धित एक अध्ययन है।"

डा० पैटन के अनुसार आधुनिक विधिशास्त्र सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में खाई बनाता है तथा यह ऐतिहासिक भूतकाल को अतल गहराई में खोदता है तदोपरान्त यह अत्यन्त उपद्रवो एवं परस्पर विरोधी विधिक प्रणाली के बीच से सुडौल रूप में एक बगीचे का सृजन करता है।
"Modern jurisprudence trenches in the field of social science it digs in to the historical past then it creats a symitry of garden out of luxuriants chaos and conflicting legal systems."

संश्लेषणात्मक एवं संकल्पनात्मक परिभाषा

Prof. C.K Allen :

"विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धान्तों का वैज्ञानिक संश्लेषण है।" (The scintific synthesis of the essential principles of the law.)

डा० जे० एम० सेथना :

भारतीय विधिशास्त्री सेथना ने विधिशास्त्र की परिभाषा संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से की है।

"विधिशास्त्र एक वाद्ययन्त्र है जो विधिक राग की मधुरता प्रदान करता है। अधिवक्ता, न्यायाधीश, विधिशास्त्री एवं विधायक संगीतज्ञ हैं जो बाजे के धागे पर अपनी संगीत साधना करते हैं।

"Jurisprudence is a harp which produces a melody of law. Lawyers, judges, Jurists and legislatures are the musician who play on the string of that very harp."

सिसरो (Cicero)

"विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है।"

प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने इस परिभाषा में विधिशास्त्र के पक्ष को उजागर किया है।

समाजशास्त्रीय परिभाषा (Sociological Definition)

जुलियस स्टोन (Julius Stone):

"विधिशास्त्र विधिवेत्ता का अतिरिक्त कथन है।"

"Jurisprudence is lawyer's extraversion."

स्वयं स्टोन ने विधिवेत्ता के अतिरिक्त कथन पदावली की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि यह विधिवेत्ता की विधि से इतर विधाओं के समकालीन ज्ञान के प्रकाश में विधि के सूत्र वाक्यों, आदर्शों एवं पद्धतियों का परीक्षण है।

The lawyer's extraversion. It is the lawyer's examination of the precipts and techniques of the law in the light divived from present knowledge in disciplines other than law.

यह परिभाषा विधिशास्त्र के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण के विस्तार को पूर्णरूप प्रतिबिम्बित करती है।

उपरोक्त परिभाषाओं में दो ऐसी बातें हैं जो सब परिभाषाओं में लगभग पायी जाती है। प्रथम लगभग सभी विधिशास्त्री यह कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। द्वितीय यह कि विधिशास्त्र स्वयं विधि का विज्ञान नहीं वरन् विधि के बुनियादी सिद्धान्तो का विज्ञान है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि विधिशास्त्र के अन्तर्गत विधि के मूर्त उपबन्धों का अध्ययन नहीं किया जाता है अपितु इसके अन्तर्गत विधि के अमूर्त सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाता है।

विधिशास्त्र की प्रकृति (Nature of Jurisprudence)

विधिशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या करते समय विधि सम्बन्धी संकल्पनाओं जैसे स्वामित्व, अधिकार विधिक व्यक्तित्व आदि का विस्तृत विवेचन किया जाता है। विधिशास्त्र अन्य विधियों की भाँति अधिनियमित न होने की वजह से इसकी विषयवस्तु का सर्वमान्य आधार निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इस पर अनेक विधिशास्त्रियों के विचारों में मतैक्य नहीं हो पाता है।

विधिशास्त्र की विषयवस्तु (Subject matter of Jurisprudence)

विधि तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न संकल्पनाओं की सामान्य एवं विस्तृत विवेचना विधिशास्त्र की विषयवस्तु है। उल्लेखनीय है कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए सभी विधियों के मूलभूत सिद्धान्तों को विधिशास्त्र की विषयवस्तु की श्रेणी में रखा जा सकता है।

विधिशास्त्र का विषयक्षेत्र (Scope of Jurisprudence)

विधिशास्त्र के विषयक्षेत्र के बारे में विधिशास्त्रियों में सामन्जस्य नहीं है। अलग-अलग विधिशास्त्रियों के लिए इसका क्षेत्र अलग-अलग है। समय के परिवर्तन के साथ साथ विधिशास्त्र में जिस प्रकार से नयी-नयी विचारधाराओं ने जन्म लिया ठीक उसी प्रकार से उनके क्षेत्र में भी परिवर्तन होता गया। परिणामस्वरूप विधिशास्त्र का क्षेत्र भी काफी विस्तृत हो गया।

विधिशास्त्र विधि का अध्ययन है। विधि सतत विकसित होती रहती है। इसलिए विधिशास्त्र के अध्ययन का विस्तार क्षेत्र विधि के क्रमशः विकास, विधि एवं विधिक प्रणालो के अध्ययन के तरीको, विधि से सम्बन्धित नवीन प्रश्नों और विधि तथा सामाजिक उलझनों के साथ-साथ बढ़ता जाता है।

अमेरिकन यथार्थवादी विधिशास्त्री कार्ल लेवलिन ने टिप्पणी की कि "विधिशास्त्र उतना ही विस्तृत है जितनी विस्तृत विधि है। यह विधि से भी ज्यादा विस्तृत है।"

विधिशास्त्र की विषयवस्तु तथा क्षेत्र का अध्ययन अनेक विचार-धारा के विधिशास्त्रियों एवं विधिवेत्ताओं ने अपने-अपने अध्ययन

के आधार पर अपने-अपने तरीकों से प्रस्तुत किया है

Austin And Bentham:

आस्टिन और बेन्थम के अनुसार विधिशास्त्र का विस्तार क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि (Positive law) तक ही सीमित होना चाहिए। इनके अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। अतः नैतिक विधि और उच्चतर विधि को इसके क्षेत्र से बाहर किया। इन विधिशास्त्रियों ने 'विधि जैसी है' का अध्ययन किया और विधि की अच्छाई बुराई पर ध्यान देना वर्जित माना।

सामण्ड (Salmond):

इनके अनुसार विधिशास्त्र का क्षेत्र विस्तार "नागरिक विधि" (civil law) तक सीमित है। नागरिक विधि से इनका तात्पर्य राज्य विधि से है।

केल्सन (Kelson):

केल्सन अपने शुद्ध विधि के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय यह चाहते हैं कि विधिशास्त्र के अध्ययन से प्राकृतिक विधि, नीतिशास्त्र और समाजशास्त्र आदि से अलग रखा जाय।

विधिशास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्रियों ने समाज के सन्दर्भ में विधि के विकास को मूल्यांकित कर विधि के सहज विकास को उजागर किया। विभिन्न देशों की विधियों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया।

समाज के सन्दर्भ में विधि का अध्ययन समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के विकास में सहायक हुआ और इस प्रकार विधिशास्त्र के अन्तर्गत विधि और विधिक संस्थाओं के सामाजिक उद्भव, विधि का समाज पर प्रभाव, विधि की समाज में भूमिका, विधि की वैधता के सामाजिक आधारों का अध्ययन इसके क्षेत्र विस्तार को और बढ़ा दिया।

फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक Legal Theory में कहा कि विधि के एक सिद्धान्त का छोर दर्शन और दूसरा छोर राजनीतिक सिद्धान्त से जुड़ा है।

लार्ड रेडक्लिफ ने अपनी पुस्तक Law and its Compass में स्पष्ट किया कि विधिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र

एवं दर्शनशास्त्र का भाग है।

-न्यायाधीश P.B. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक New Jurisprudence में स्पष्ट किया है कि विधिशास्त्र आध्यात्मिक और बौद्धिक आकर्षण के साथ-साथ समाज में मनुष्य का व्यवहारवादी अध्ययन भी है। इसके अन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचार सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत मनुष्य का राज्य और समाज के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाता है।

Julius Stone ने विधिशास्त्र को विधिवेत्ता का अतिरिक्त कथन अर्थात विधि से इतर विषयों के अध्ययन से प्राप्त विधिवेत्ता के ज्ञान के आलोक में विधि का अध्ययन माना।

विधिशास्त्र अब अपने आप में पूर्ण एक अलग विषय नहीं रह गया है। विधि समाज का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ समाज का निर्माण भी करती है। अतः विधि की जानकारी के लिए उन सभी संसाधनों की आवश्यकता है जो समाज की जानकारी के लिए प्राप्त हैं।

मानव एक सामाजिक प्राणी है उसके व्यवहारों को नियन्त्रित करने के लिए विधि की आवश्यकता पड़ती है। अतः विधि का सम्बन्ध समाज से है। समाज विकासित होता रहता है इसके साथ-साथ उसकी मान्यताएँ, अपेक्षाएँ, आवश्यकताएँ तथा लक्ष्य आदि बदलते रहते हैं अतः विधि सम्बन्धी धारणाएँ भी बदलती रहती हैं। जीवन जितना विषम और व्यापक होता जायेगा विधिशास्त्र का क्षेत्र भी उतना व्यापक होता जायेगा।

अतः निष्कर्ष रूप में विधिशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि विधिशास्त्र का अध्ययन बन्द दरवाजा (closed door) अध्ययन नहीं है बल्कि हमेशा खुला अध्ययन (opended) है। अतः ज्यों ज्यों वैज्ञानिक नवीन अन्वेषणों का प्रादुर्भाव होगा और सामाजिक विज्ञानों में नयी प्रवृत्तियों का विकास होगा, त्यों त्यों विधिशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी विकसित होता रहेगा। अतः विधिशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती।

विधिशास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Jurisprudence & Social Science)

ज्ञान की शाखा के रूप में उत्पन्न होने वाले सामाजिक विज्ञानों में विधि का सर्वप्रथम स्थान माना गया है। यदि सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य मानव के पारस्परिक सम्बन्धो तथा संव्यवहारों का अध्ययन माना जाय तो विधि वह अग्रणी सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य को एक सामाजिक, चिन्तनशील और नैतिक व्यक्ति के रूप में अध्ययन की विषयवस्तु मानता है।

सदियों पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक एवं सहिष्णु प्राणी है। समाज के एक सदस्य की हैसियत से समाज में वह अन्य सदस्यो से मिलता जुलता है। उनके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सहभागी बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के बीच जो पारस्परिक सम्बन्ध बनते हैं वे ही समाज को जोड़ने वाले बन्धन है अतः वे विज्ञान जो मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों तथा आचरणों को अपने अध्ययन का विषय वस्तु मानते हैं, सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। साधन एवं उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। उनका सम्बन्ध व्यक्तियों के व्यवहारों, पारस्परिक सम्बन्धों तथा उन विधियों से होता है जो उन्हें विनियामित करती है। विधिक दृष्टिकोण से मानव के कार्यो एवं तज्जनित दायित्वों आदि से सामाजिक विज्ञान सम्बन्धित होते हैं। तो क्या इन अर्थो में विधिशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है? उत्तर सकारात्मक होगा क्योंकि विधिशास्त्र भी मनुष्य जीवन से सम्बन्धित अनेक पक्षों का अध्ययन करता है। विधिशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में विधि का अध्ययन ज्ञान की एक विधा के रूप में करता है। विधिशास्त्र समाज में मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन विधिक महत्व की दृष्टि से करता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह विधि-शास्त्र का भी सम्बन्ध मानव जीवन, उसके सामाजिक क्रियाकलापों एवं उसे विनियमित करने वाली विधियों से होता है। विधिशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनुष्य का समाज के साथ और मनुष्य का अपने सहकर्मी मनुष्यों के साथ क्या सम्बन्ध है, अध्ययन करता है विशेष रूप से उन सम्बन्धों का जो विधि द्वारा नियन्त्रित होते हैं।

विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र (Jurisprudence & Sociology)

विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य, विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है। विधिशास्त्र मानव आचरण को नियन्त्रित करने से सम्बन्धित विधि होने के कारण विधि का विज्ञान है। तो समाज-शास्त्र मानवीय अन्तः सम्बन्धों के स्वरूपों का विज्ञान है। दोनों के दृष्टिकोणों में कुछ भिन्नता है। समाजशास्त्र जहाँ अपने अध्ययन की विषयवस्तु मुख्य रूप से समाज को मानता है और विधि का अध्ययन समाज के एक प्रगटीकरण के रूप में करता है। वहीं विधि-शास्त्र अपना अध्ययन मुख्य रूप से विधि पर केन्द्रित करता है और समाज का अध्ययन विधि के सन्दर्भ में करता है। अतः दोनों विधि का अध्ययन करते हैं पर भिन्न दृष्टिकोणों से। विधिवेत्ता अपने पेशागत दृष्टिकोण से यह चाहता है कि जो नियम बने लोग उसका पालन करें वह यह जानने के लिए चिन्तित नहीं है कि कैसे और किस सीमा तक नियम वास्तव में सामान्य नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों को नियन्त्रित करता है, जबकि समाजशास्त्री इन बातों को लेकर अपनी चिन्ता व्यक्त करता है। विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि विधिशास्त्र में समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र की एक अलग शाखा है। यह शाखा समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से इस बात पर है कि विधि का क्या प्रभाव वृहत्तर समाज पर पड़ता है। विशेषतया सामाजिक कल्याण पर। यदि हम समाज में अपराध के पहलू को ले तो यह पता चलता है कि अपराध के कारण एक बड़ी सीमा तक समाजशास्त्रीय हैं। अतः अपराध के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए कि वे क्यों घटित होते हैं समाज का ज्ञान होना आवश्यक है। जेल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी समाजशास्त्र ने, विधिशास्त्र की सहायता की है। इसके साथ-साथ सामाजिक दुर्व्यवस्था को रोकने के उपाय भी सुझाये हैं।

→ Reformative theory of Punishment समाजशास्त्र की ही देन है।

लारेन्स एम फ्रीडमैन स्वायत्त विधिक व्यवस्था को वैधानिकता के समकक्ष मानते हुए इसे समाज की विधिक संस्कृति का अंश मानते हैं। ननेट के अनुसार विधिशास्त्रीय समाजशास्त्र की आवश्यकता है।

विधिशास्त्र स्वं समाजशास्त्र के पारस्परिकता की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आये दिन समाज में विधि का उलंघन होता रहता है। अथवा विधि समाज के अनुकूल नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ मनुष्य इस तरह नित नये व्यवहार करता जा रहा है उसके व्यवहारों को नियान्वित करने के लिए नयी विधियों की आवश्यकता महसूस हो रही है। विधि समाज में मानवों के हितों का संरक्षण करती है। विधि का उद्देश्य या तो सामाजिक समेकता को बढ़ावा देना है अथवा न्यूनतम मतभेदों के साथ अधिकतम लोगो की इच्छाओं की संतुष्टि करना है। पिछले कुछ दिनों में अन्तर्विधा अध्ययन का विकास हुआ है। कुछ संगठन जैसे- British Association of legal and Social philosphy. भारत में अन्तर्विधा प्रकाशित सामग्री में - Vendas की कृति Sociology of law, उपेन्द्र बक्शी कृत Sociolegal Research.

विधिशास्त्र और दर्शनशास्त्र (Jurisprudence And Philosphy)

विधिशास्त्र विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है तो दर्शनशास्त्र उच्चतर के सामान्यीकरण तक पहुँचने वाला विज्ञान है। विधिशास्त्र निश्चित विधिक सिद्धान्तों और विधिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। विज्ञान Something का अध्ययन करता है दर्शन Everything मनुष्य ब्रह्माण्ड इत्यादि का अध्ययन करता है। Russel ने एक बार कहा विज्ञान वह है जिसे हम जानते हैं और दर्शन वह है जो हम नहीं जानते। दर्शनशास्त्र का विधिशास्त्र से प्रारम्भ से सम्बन्ध रहा है। विधि का विज्ञान कल्पना पर आधारित और आदर्श तत्वों के विपरीत वास्तविक विधि का अध्ययन करता है। विधि का दर्शन वहाँ से अपना कार्य प्रारम्भ करता है जहाँ जा कर विधि के विज्ञान का दायरा समाप्त हो जाता है।

बीसवी शताब्दी के अन्तिम दसक तक आज विधिशास्त्र के अध्ययन पर दर्शनशास्त्र का बोलबाला हो गया है। विधिशास्त्र की व्याख्या के दौरान नीति-शास्त्रीय विधिशास्त्र, आलोचनात्मक विधिशास्त्र, ज्ञानमीमांसकीय विधिशास्त्र और हेतु वादी के रूप में विधि के दर्शन के अनेक पक्षो को उजागर किया गया है।

अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान समय में विधिशास्त्र में योगदान करने वाले विचारक या तो दर्शनशास्त्र के विद्वान आचार्य हैं या दर्शनशास्त्र से प्रभावित विधि आचार्य। "अब विधि के नैतिकमूल्य या नैतिक आधारों पर विधि के सिद्धान्त के चयन की विवेचना की जा रही है।" (Philip Soper : The moral Value of law)